कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2211 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च ~~फरवरी~~, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में टीएसपी के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/34118/2018)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या– 08बी/यू0सी0पी0/06/18/2021/एफ0सी0/594, दिनांक 24.8.2021

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ द्वारा अपने पत्रांक संख्या–1869/12–1 दिनांक 07.12.24 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की पत्रांक–2630/24एल0ए08W78 दिनांक 27.11.2024 की छायाप्रति मयसंलग्नकों सहित 25 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3(क)	प्रतिपूरक वनीकरण– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.476 है0 सिविल सोयम ग्राम कागा लग्गा द्रोणागिरी में खसरा संख्या 05 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.476 है0 वन भूमि पर किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2,89,255.00 उत्तराचंल कैम्पा फण्ड के खाते में जमा करवा दी गयी है। आख्यानुसार वन विभाग द्वारा जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का प्लांटेशन किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात्	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि कागा लग्गा द्रोणागिरी के

	ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की गाइडलाइन के पैरा 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	खसरा न0 05 में 3.476 है0 सिविल वन भूमि को जिला अधिकारी चमोली ने अपने पत्रांक 3733 / छब्बीस–17(2020–21), दिनांक 06.04. 2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद कर दिया गया है **(संलग्नक–1)**।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल वन भूमि पर पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है तद्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–2)**।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधन शामिल किये जा सकते हैं।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0(Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.738 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित 1.738 है0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 12,14,862.00 उत्तराचंल कैम्पा फण्ड के खाते में जमा करवा दिया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–3)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान व पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि को ई–पोर्टल पर

	स्थानान्तरित / जमा किए जाऐंगे।	जमा किया जा चुका है।
8	गाईडलाइन्स में दिए गये निर्देशों के क पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोकता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है**(संलग्नक–4)**।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाऐंगे।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	आख्यानुसार लागू नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण

	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 19.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित मलवा निस्तारण स्थलों पर ही निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण स्थलों पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या को ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 2211 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
2. उप वन संरक्षक, नन्दादेवी, राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

Gen Lett.

कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179
E-mail- dcfndnp-fprest-uk@nic.in

पत्रांक– 1869 / 12-1 ,ज्योर्तिमठ, दिनांक, 07-12- 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बडघट नामक स्थान से सूखी–भलगॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/34118/2018)**

संदर्भः– आपकी अध्यक्षता में आयोजित वी0सी0, दिनांक 15.11.2024 व प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 2630 / 24 एल0ए0 8W78 दिनांक 27.11.2024.

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों / प्रतिबन्धों की बिन्दुवार आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसे मूल प्रति सहित 03 प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.476 है0 सिविल सोयम ग्राम कागा लग्गा द्रोणागिरी में खसरा संख्या 05 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.476 है0 वन भूमि पर किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2,89,255.00 उत्तराचंल कैम्पा फण्ड के खाते में जमा करवा दिया गया है। वन विभाग द्वारा जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का प्लांटेशन किया जायेगा तथा प्रतातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की गाइडलाइन के पैरा 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि कागा लग्गा द्रोणागिरी के खसरा न0 05 में 3.476 है0 सिविल वन भूमि को जिला अधिकारी चमोली ने अपने पत्राक 3733 / छब्बीस–17(2020–21), दिनांक 06.04.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद कर दिया गया है **(संलग्नक–1)**।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल वन भूमि पर पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है तदसम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–2)**।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

प्रभारी चमोली आ0का0 केन्द्र।
प्र0व0स0 16-12-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून.
पंजी0 सं0 2332
पत्रावली 12-1
17-12-24

	उपयुक्त प्रावधन शामिल किये जा सकते हैं।	
5. (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.738 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित 1.738 है0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 12,14,862.00 उत्तराचंल कैम्पा फण्ड के खाते में जमा करवा दिया गया है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–3)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान व पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाऐंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि को ई–पोर्टल पर जमा किया जा चुका है।
8	गाईडलाइन्स में दिए गये निर्देशों के क पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोकता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा प्रदत्त एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है **(संलग्नक–4)**।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाऐंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मज़दूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन

	लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जाऐगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 19.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दिवारें बनायी जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित मलवा निस्तारण स्थलों पर ही निर्माण कार्य में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण स्थलों पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

अतः अनुपालन आख्या मूल प्रति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(बी0बी0 मर्तोलिया),
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क ज्योर्तिमठ।

पत्रांकः– / *उक्तदिनांकित।*

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उनके उक्त संदर्भ के क्रम में।

(बी0बी0मर्तोलिया),
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक– 2630 / '24 एल.ए. 8W78 दिनांक–27 / 11 / 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
ज्योतिर्मठ

विषय– जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराई थोठा पुलिस चौकी बड़घट से सूखी भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पंत्राक 1645 / 12–1 दिनांक 19.11.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मन्त्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पंत्राक 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 18 / 2021 / एफ0सी0 / 594 दिनांक 24. 2021 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी हैं सैद्वान्तिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 686 / 23एल0ए0 दिनांक 18.05.2022 एवं पत्रांक संख्या 1031 / 24एल0ए0 दिनांक 20.05.2024 प्रेषित की गयी पुनः बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रषित हैः–

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	वनभूमि विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	स्वीकार हैं
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोकता अभिकरण को सोपें जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	स्वीकार है।
03	प्रतिपूरक वनीकरण	–
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.476 हे. सिविल सोयम भूमि ग्राम कागा लग्गा द्रोणागिरी में खसरा संख्या 5 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों को एकल प्लांटेशन से बचें।	स्वीकार है।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं स्थान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0एस0ए0 1980 की गाइड लाइन के पैरा 2.4(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	कागा लग्गा द्रोणागिरी के खसरा नम्बर 5 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.476 हे. सिविल भूमि का जिलाधिरी चमोली के आदेश संख्या 3733 / छब्बीस –17 (2020–2021) गोपेश्वर दिनांक 06. अप्रैल 2022 द्वारा वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू0 12,89,255.00 मात्र का भुगतान 28.02. 2022 द्वारा उत्तराखण्ड़ कैम्पा के पक्ष में किया जा चुका है। प्रमाण पत्र (1–5 सलंग्न)।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	स्वीकार है।

प्राप्त दिनांक 04/12/2024
L.T
आ० का० करें
उ० व० सं०
नन्दादेवी

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
पत्रांक सं० 2525
पंजी सं० 12-7
दिनांक 04-12-2024

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन की और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकारण वनीकरण 10 वर्षे तक आरक्षित किया जायेगा। इस योजनाभविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान है।	स्वीकार है।
5	शुद्व वर्तमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202 / / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28. 03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 10.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.738 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) एन0पी0वी0 देय धनराशि रू॰ 1214862.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 10.02. 2022 को उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (ख) स्वीकार है। प्रमाण पत्र (5–6)सलंग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ों की कटाई को न्यून्तम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेंड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों एवं 62 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	स्वीकार है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्राराम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायगी।	स्वीकार है।

8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल उक्त धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम सें सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र (7–11)सलंग्न।
10	नवीनतम वन(सरंक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्क वृक्षारोपण (mature planttion) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होनी चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायोगें।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (सरंक्षण)अधिनियम 1896 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण स्वीकृति इस प्रस्ताव में लागू नही है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। स्वीकार है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के आस–पास कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों हेतु वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन की ब्यवस्था की जायेगी।

17	संबन्धित वन मडंल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अकिंत हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तिति वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य परियोंजन हेतु नही किया जायेगा।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होंगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वादृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पर्नुजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निसतारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरी करण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाण्गां मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना हेतु चिन्हित स्थलों पर मक डिस्पोजल किया जायेगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोकता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।

25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल है। (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल है। (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।

अतः अनुरोध है, कि उक्त अनुपालन आख्या अपने स्तर से प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित करने की कृपा करें।

सलंग्न– अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में ।

27.11.2024

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ता, (चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

(3)

आदेश –

जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.738 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.476 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0 /06/ 18 / 2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24.08.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/18/2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24.08.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी जोशीमठ की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.738 है0 वन भूमि के एवज् में ग्राम कागा लगा द्रोणागिरी,रा0उ0नि0 क्षेत्र मलारी,तहसील जोशीमठ की ख0खा0सं0–17 के खसरा सं0–05 रकबा 94.606 है0 भूमि मध्ये 3.476 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3733/छब्बीस–17 (2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 06 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/जोशीमठ ।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

P C Attested

जिलाधिकारी,
चमोली।

R.K. / रा0उ0नि0 द्रोणागिरी/मलारी

THR(i)
11/04/2022

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(4) (2)

		४७८	३११-	१.२७१
		४८०	६=	०.१२५
		४२०	४३=	०.१०५
		४२२	२१=	०.०४८
		१/	[illegible]	
चाहन		२	२००३	५.००५
		४	४६००	१२.०८०
		५	५३०१-	९४.६०६
		६	१२००	२६.०००
		१०	६३	१.२६०
		११	१२३५=	२४.७०५
		१८	७९	१.५५०
		१२	२९८१=	५.२८८
		१४	३९१११=	७.५८८
		१५	५८-	१.१६
		८२	१८	०.३६०
		१२२	८११=	०.०५३
		१२	[illegible]	
[illegible]		६८	९१११	०.२६
		६१०	५१=	०.०५३
		६२०	१	०.०२२

श्री आदेश जिलाधिकारी चमोली के [illegible] उ० [illegible] औपचारिक [illegible] के अनुसार [illegible] (ख)/२०१२-१८(१२३)/ [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] अन्तर्गत [illegible] चोपता से [illegible] निर्माण से प्रभावित होने वाली [illegible] है० [illegible] भूमि [illegible] [illegible] भूमि [illegible] अंकित भूमि [illegible] के नाम में दर्ज [illegible] हेतु [illegible] किया गया।

PC Attested

[illegible] २३/०४/२०२२ [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible]

E.E. [illegible]

EXECUTIVE ENGINEER PROVINCIAL DIVISION [illegible] GOPESHWAR

(९८)

(4) (2)

		४०८	३११-	1.771
		४५०	६५=	1.726
		४२०	४५=	0.504
		४२२	२१=	0.48
		४१	[illegible]	
चाईन		२	२००५	4.004
		४	२५६००	112.040
		५	१९२०१	94.606
		६	९२००	26.000
		१०	६३	1.268
		११	१२२३५=	24.704
		१२	९५	1.540
		१३	२९८१=	4.288
		१४	३३९११=	7.588
		१५	४८	1.161
		०२	९५	0.360
		१२२	८११=	0.043
		१२	[illegible]	
[illegible]		६८	९१११	1.2[illegible]
		६९०	८१३	0.053
		६२०	९	0.22[illegible]

म० आदेश जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या 3723/[illegible] औद्योगिक विकास [illegible] अनुसार [illegible] (II)/2012-18(123) दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] अन्तर्गत सुरक्षित [illegible] चौकी से [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.236 है० वन भूमि के [illegible] [illegible] के [illegible] 14.616 है० भूमि [illegible] (4) [illegible] से अंकित भूमि को नाम से [illegible] वन विभाग के पक्ष में नाम दर्ज किये जाने हेतु [illegible] किया गया।

P.C. Attested

23/04/2022

E.E.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(98)

	४७८	३॥-	१.७१	
	४८०	६=	१.१२४	
	५२०	५=	०.५०४	
	५२२	.२१=	०.०४८	
[illegible]	११	[illegible]		
चाहेगा	२	२००=	५.००४	क्रू आदेश जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या [illegible] दि० [illegible] (२०२०-२१) [illegible] दिनांक ०८ अप्रैल २०२२ के अनुसार [illegible] शासनादेश संख्या [illegible] (1)/2012-18(123)/ 2010 दिनांक 17 दिसम्बर [illegible] के अनुसार [illegible] अन्तर्गत [illegible] पुलिस चौकी के समीप [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.7336 है० [illegible] भूमि के [illegible] [illegible] 14.616 है० भूमि [illegible] (1) [illegible] से अर्जित भूमि के नाम में [illegible] निर्माण के [illegible] जाने हेतु अमल दरामद किया गया।
	४	५६००	१२.०४०	
	५	५३०१	३४.६०६	
	६	१२००	२६.०००	
	१०	६२	१.२६०	
	११	१२२५=	२४.७०४	
	१८	३५	१.५४०	
	३२	२९८१=	४.२८८	
	३४	३३१॥=	७.५६८	
	३५	५८-	१.१६१	
	८२	१८	०.३६०	
	१२२	४॥=	०.०९३	
[illegible]	१२	[illegible]		
बंजर	६८	११॥	०.२३	
	६१०	४।=	०.०८३	
	६२०	१	०.०२०	

PC Attested

[illegible] 23/04/2022 नायब तहसीलदार [illegible]

EXECUTIVE ENGINEER PROVINCIAL DIVISION [illegible] GOPESHWAR

E.E.

(४८)

पत्रावली सं0 3710
दिनांक 25-09-21

(प्रभागी)य उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Fax No.- 01389-222179
E-mail- dfonandadevi@rediffmail.com

nandadevi biosphere reserve

1012 /12-1 ,जोशीमठ, दिनांक, 14 सितम्बर ,2021.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता ,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बडघट नामक स्थान से सूखी–भलगॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/34118/2018)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/18/2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24.08.2021 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 643/FP/UK/ROAD/34118/2018 दिनांक 4.09.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त हस्तान्तरित वन भूमि की एन0पी0वी0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का डिमाण्ड नोट निम्नप्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

1- एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण–

ईको क्लास–	VIth
हरियाली का घनत्व–	0.2
एन0पी0वी0 की दर–	रू0 6,99,000.00
हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल–	1.738 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि–	1.738X 699000.00
	=रू0 **12,14,862.00**

(रू0 बारह लाख चौदह हजार आठ सौ बासठ मात्र)

2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि– 3.476 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरप्रति है0– रू0 3,70,902.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि– **=3.476 X3,70,902.00 = 12,89,255.4 या = 12,89,255.00**

(रू0 बारह लाख नवासी हजार दो सौ पचपन मात्र)

योग (1+2) **12,14,862.00 + 12,89,255.00= 25,04,117.00**

(रू0 पच्चीस लाख चार हजार एक सौ सत्रह मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि का डिमाण्ड नोट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (संलग्न है) द्वारा विषयगत मोटर मार्ग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

PC Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

भवदीय,

(नन्दाबल्लभ शर्मा)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

2

4

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6134118031
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/18/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(In Rs)	2504117/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Four Thousand One Hundred and Seventeen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896134118031 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

PC Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

E E

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
पी० एफ० सं०-514

28 FEB 2022

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में वृक्षारोपण न होने सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कागा लग्गा द्रोणागिरी में 3.476 हे0 सिवल भूमि में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

PC Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

संलग्नक-02

प्रमाण–पत्र

विषयः– जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बडघट नामक स्थान से सूखी–भलगॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Proposal No-FP/UK/ROAD/34118/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवेदित 1.738 है0 सिविल वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कागा लग्गा द्रोणागिरी में उपलब्ध करायी गयी 3.476 है0 सिविल वन भूमि पर पूर्व में किसी भी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(नन्दा बल्लभ शर्मा)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

संलग्नक - 3

(8)

एन॰पी॰वी॰ प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन॰पी॰वी॰ की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन॰पी॰वी॰ की वर्तमान दरों में वृद्वि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढी हुई एन॰पी॰वी॰ धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

PC Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

संलग्नक 4

8

7

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.738 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sukhi-Bhalgaon motor road from Near to SuraiThota Police Chouki at Bardghat. Under State Sector (Length 5.00 Km). Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.738 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities. PC Attested	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Signature
24/3/18
(Ashecsh Joshi)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

DM FRA Letter

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 29/3/18 at time 11:30AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.738 hect for the Construction of Sukhi-Bhalgaon motor road from Near to SuraiThota Police Chouki at Bardghat. Under State Sector (Length 5.00 Km) at Joshimath Block in District Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Joshimath sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:…………..

Signature

29/3/18

(Asheesh Joshi)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

PC Attested

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

DM FRA Letter

(20) (19)

प्रपत्र 232

...योजना का नामः– जनपद चमोली में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7.738है. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार हैः–

1– श्री अनूप कुमार नौटियाल ....उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2– श्री राजेश कुमार दुबे ....उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3– श्री विजय प्रसाद पुरोहित ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4– श्री मोहन सिंह ....बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु है. 7.738वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप जिलाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

P.C. Attested

अधिशासी अभियन्ता, लो॰ नि॰ वि॰

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL

23 (4)

प्रपत्र –23.1

15-01-2011 को ग्राम सभा खुरसी– अलकापा ....की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
नरेन्द्र सिंह	[signature]
जोतावर	पोतावर
रामसिंह	[signature]
मोहन लाल	[signature]
Devendra Singh	[signature]
मातवरसिंह	मातवरसिंह
गोविन्दसिंह	गोविन्दसिंह
रतनसिंह	[signature]
अब्बलसिंह पवांर	अब्बलसिंह
महेन्द्र सिंह पवांर	महेन्द्र
Sheila Devi	Sarila Devi
विक्रम सिंह	[signature]
Surendr Singh	[signature]
अब्बल सिंह रावत	अब्बलसिंह
प्रेमा देवी	प्रेमा
महेन्द्र सिंह	[signature]
	क्षेत्र पंचायत तोलमा विकास खण्ड जोशीमठ (चमोली)
	[signature]

EE Bag

P.C. Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है ।

E.E

PC Attested

प्रधान ग्राम पंचायत भल्लागांव
प्रधान
विकास खण्ड जोशीमठ चमोली

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

प्रधान ग्राम पंचायत भल्लागांव
विकास खण्ड जोशीमठ चमोली